कार्यालय प्रमुख अभियंता,
मध्यप्रदेश, लोक निर्माण विभाग

ज्ञाप क्रमांक 404/जी/मिस/108/05/12833. भोपाल दिनांक 24/08/2005

प्रति,

1. समस्त मुख्य अभियंता,
   लोक निर्माण विभाग,
   मध्यप्रदेश ।
2. समस्त अधीक्षण यंत्री,
   लोक निर्माण विभाग,
   मध्यप्रदेश ।
3. समस्त कार्यपालन यंत्री,
   लोक निर्माण विभाग,
   मध्यप्रदेश ।

विषयः–सड़क निर्माण के डामरीकरण कार्यों में मापांकन की प्रक्रिया में सुधार बाबत ।

विभाग में सड़क निर्माण के डामरीकरण कार्य हेतु माप पुस्तिकाओं में मापांकन के लिये भविष्य में निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जावे :–

1. सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी स्पेशिफिकेशन (चतुर्थ रिविजन) के अनुसार प्रोफाईल करेक्टिव कोर्स (**Profile Corrective Course**) बी. एम. (**Bituminous Macadam**), डी.बी.एम. (**Dense Bituminous Macadam**) तथा एस.डी.बी.सी. (**Semi Dense Bituminous Concrete**) के कार्यों का माप घन मीटर के आधार पर किया जाता है, के कार्यों के माप लेबल लेकर ही दर्ज किया जावे ।

2. निम्नलिखित आईटम का भुगतान क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता है

1- Bituminous Penetration Macadam

2- B.U.S.G.

उपरोक्त आईटम की मोटाई मानक अनुसार है यह सुनिश्चित करने के लिये लेबल लेकर माप पुस्तिका में अंकित करने की कार्यवाही की जाये । कार्यों का भुगतान एस.ओ.आर. के प्रावधानों के अनुसार किया जावे ।

उपरोक्त निर्देशों का पालन कडाई से किया जाये । यह आदेश दिनांक 24/08/2005 से प्रभावशील होगा ।

24/08/2005

प्रमुख अभियंता,
म.प्र. लो.नि.वि. भोपाल